संख्या-126/2025/1019/35 -4-2025/35-4002(002)/4/2024

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झांसी।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक 29 दिसम्बर, 2025

विषय: जनपद झांसी में वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत जनपद-झांसी में शासनादेश संख्या-479/2023/1145/35-4-2023, दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 10 कार्यों में से 01 कार्य **(यथा-ब्लाक मोंठ के ग्राम शाहजहां में जुनियर हाईस्कूल से बजीता शाहजहांपुर रोङ तक सी0सी0 सम्पर्क मार्ग निर्माण)** की अनुमोदित लागत रू0 26.90 लाख के सापेक्ष प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त में रू0 13.45 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई।

2- आपके पत्र सं0-77/डी0एस0टी0ओ0/त्व0आ0वि0पत्रा0-2022-23 गरौठा/मांग/2025-26 दिनांक 24 अप्रैल, 2025 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत प्रश्नगत कार्य की अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपभोग किया जाना एवं गठित अनुबंध से हुई रूपये 0.15 लाख की बचत धनराशि को घटाने के पश्चात अवशेष धनराशि रू0 13.30 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत एवं गठित अनुबंध से हुई बचत की धनराशि को समायोजित करते हुए अनुमन्य देय अवशेष धनराशि रू0 **13.21** लाख (रूपये तेरह लाख इक्कीस हजार मात्र)को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रू. लाख में)

कार्य का नाम	**अनुमोदित लागत**	**कार्य की कुल लागत**	**पूर्व में अवमुक्त धनराशि**	**अवमुक्त धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
ब्लाक मोंठ के ग्राम शाहजहां में जुनियर हाईस्कूल से बजीता शाहजहांपुर रोङ तक सी0सी0 सम्पर्क मार्ग निर्माण	26.90	26.66	13.45	13.21

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2023 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक, डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त, अनाहरित बचती है, तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2026 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. **उपर्युक्त कार्य हेतु गठित अनुबंध की धनराशि रू0 21.06 लाख पर 1 प्रतिशत लेबर सेस रू0 0.21 लाख की धनराशि को घटाने पर प्राप्त हुई धनराशि रू0 20.85 लाख पर पी0एफ0ए0डी0 द्वारा अनुमन्य कर मदों की लागत की गणना करने पर (जैसे- 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 3.75 लाख, 6.875 प्रतिशत अधिष्ठान व्यय रू0 1.43 लाख, 2 प्रतिशत आकस्मिक व्यय, रू0 0.42 लाख तथा पुनः1 प्रतिशत लेबर सेस, रू0 0.21 लाख को जोङकर) प्राप्त कुल कर मदों में देय धनराशि रू0 रू0 5.81 लाख उभर कर आयी है। अतः अनुबंध की लागत एवं देय कुल कर मदों की धनराशि को जोङने पर आयी कार्य की कुल लागत रू0 26.66 के अनुसार अवशेष धनराशि अवमुक्त की गयी है।**

4- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रू0 **13,21000** लाख (रूपये तेरह लाख इक्कीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष-5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-126/2025/1019(1)/35 -4-2025/35-4002(002)/4/2024,तद्दिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। (इलाहाबाद)
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।(इलाहाबाद)
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त ।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण / ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव /विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मंडलायुक्त, झांसी मण्डल ।
8. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9. मुख्य विकास अधिकारी, झांसी ।
10. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, झांसी।
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी ।
13. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, झांसी।
14. संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
15. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
दुर्गा प्रसाद
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।